क्रम-संख्या–1 (ख–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 जनवरी, 2024

पौष 15, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

———

संख्या 1903/77-1–2023

लखनऊ, 5 जनवरी, 2024

———

अधिसूचना

प0आ0–24

चूंकि सेवाएं या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है, और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुए सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं;

और, चूंकि, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (जिसे आगे विभाग कहा गया है) छात्र–छात्राओं और कतिपय अन्य योजनाओं के लक्ष्यित लाभार्थियों को टैबलेट पीसी/स्मार्ट फोन वितरित करने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना (जिसे आगे 'उक्त योजना' कहा गया है) प्रशासित कर रहा है। उक्त योजना उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (जिसे आगे कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, के रूप में संदर्भित किया गया है;

और, चूंकि, इस योजना के अधीन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (जिसे आगे प्रसुविधा कहा गया है) के उपयोग के माध्यम से उच्च, तकनीकी, चिकित्सा और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभागों के अधीन सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों और आईटीआई से स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और अन्य पाठ्यक्रम के छात्र–छात्राओं (जिन्हें आगे लाभार्थी कहा गया है) को क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी सीखने की प्रक्रिया में सुविधा (जिसे आगे प्रसुविधा कहा गया है) प्रदान की जा रही है;

और, जबकि, उक्त योजना में उत्तर प्रदेश की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्विष्ट है;

अतएव, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

1–(1) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से एतद्द्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिये नामांकन न किया हो, से उक्त योजना को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व आधार नामांकन के लिये आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यक्ति को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिये किसी आधार नामांकन केन्द्र (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग से अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों, जो अभी तक आधार के लिये नामांकित न हों, के लिये आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जायेगी, और यदि सम्बन्धित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधायें प्रदान करना होगा :

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को आधार समानुदेशित किये जाने के समय तक, उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन प्रदान की जायेंगी, अर्थात् :–

एक–18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए :–

(क) यदि बच्चा पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नामांकित हुआ है (बायोमेट्रिक्स संग्रह के साथ), तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची या बायोमैट्रिक अपडेट आइडेंटिफिकेशन स्लिप; तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक, अर्थात् :–

(एक) जन्म प्रमाणपत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म का अभिलेख; या

(दो) स्कूल का पहचान पत्र, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक् रूप से विधिवत हस्ताक्षरित, जिसमें माता–पिता के नाम हों; तथा

(ग) विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्वांतों के अनुसार, माता–पिता या विविध संरक्षक के साथ लाभार्थी के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी, जैसेः–

(एक) जन्म प्रमाणपत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म का अभिलेख; या

(दो) राशन कार्ड; या

(तीन) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सी0जी0एच0एस0) कार्ड; या

(चार) पेंशन कार्ड; या

(पॉच) आर्मी कैंटीन कार्ड; या

(छः) कोई भी सरकारी परिवार अधिकार कार्ड; या

(सात) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

दो–18 वर्ष से ऊपर के लाभार्थियों के लिए :–

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :–

(एक) बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक फोटो के साथ; या

(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(तीन) पासपोर्ट; या

(चार) राशन कार्ड; या

(पाँच) मतदाता पहचान पत्र; या

(छः) मनरेगा कार्ड; या

(सात) किसान फोटो पासबुक; या

(आठ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(नौ) किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार के कार्यालय लेटर हेड द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र; या

(दस) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जॉच, विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2–उक्त योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से, विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिये समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करनी होगी कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों के लिये व्यापक प्रचार–प्रसार, उन्हें उक्त योजना के अधीन आधार की आवश्यकता से अवगत कराने के लिये किया जायेगा।

3–समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगें, अर्थात् :–

क–खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम सहज रीति से प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिये फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के साथ ही साथ आईरिस स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के लिये उपबंध करेगा;

ख–यदि फिंगर प्रिन्टं या आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यनम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है तो जहॉ कहीं सम्भाव्य और अनुज्ञेय हो, सीमित समय की वैधता के साथ यथास्थिति वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जा सकता है;

ग–अन्य समस्त मामलों में जहां बायोमैट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव न हो, वहां उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं, ऐसे भौतिक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकती है जिसकी अधिप्रमाणिकता, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पांस कोड (क्यू0आर0 कोड) के माध्यम से की जा सकती है और क्यू0आर0 कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जायेगी।

4–उपर्युक्त किसी बात के होते हुये भी किसी भी बच्चे को अधिप्रमाणन के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में या ऐसे बच्चों के मामले जिनके द्वारा नामांकन के लिये आवेदन किया गया है, जिसकी आधार संख्या समनुदेशित नही हुयी है, योजना के अधीन प्रसुविधा से वंचित नही किया जायेगा। उनको पैरा 1 के उप–पैरा (3) के परंतुक के खण्ड एक (ख) और एक (ग) में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान को सत्यापित करके प्रसुविधा दी जायेगी और जहॉ इस प्रकार की प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर दी जायेगी, वहॉ एक पृथक रजिस्टर रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा, जिसको विभाग द्वारा आवधिक रूप से अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से पुनर्विलोकित एवं संपरीक्षित किया जायेगा।

5–यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी (बच्चों के अलावा) अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–डी–26011/04/2017–डीबीटी, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) यथा रेखाकिंत अपवाद हैंडलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सागर,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1903/LXXVII-1–2023, dated January 5, 2024.

No. 1903/LXXVII-1–2023

Dated Lucknow, January 5, 2024

WHEREAS, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

AND, WHEREAS, **Infrastructure and Industrial Development Department, Government of Uttar Pradesh** (*hereinafter referred to as the Department*) is administering the Scheme *viz*., **Swami Vivekananda Yuva Sashaktikaran Yojna** (*hereinafter referred to as the Scheme*), with the objective of **distribution of Tablet PCs/Smart phones to students and other targeted beneficiaries of few schemes** . The Scheme is being implemented through the **Uttar Pradesh Development Systems Corporation Limited, Lucknow** (*hereinafter referred to as the Implementing Agency*);

AND, WHEREAS, under the Scheme, **students pursuing Graduation, Post-Graduation, Diploma, and other courses from Government or Private Universities/Colleges/Institutions and ITIs under Higher, Technical, Medical and Vocational Education and Skill Development Departments** (hereinafter referred to as the beneficiaries) **are being facilitated in their learning process with an objective of enhancing their knowledge and skill sets through the use of Information and Communication Technologies** (hereinafter referred to as the benefit),by the Implementing Agency, as per the extant Scheme guidelines;

AND, WHEREAS, the Scheme involves recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of Uttar Pradesh;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the State Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he/she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely :–

I : For children below 18 years old :–

(a) If the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his/her Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification
slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) *Ex*-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Department.

II : For beneficiaries above 18 years old :–

(a) if he/she has enrolled, his/her Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) In case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code (QR Code) printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his/her identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment. The benefit shall be given to him/her by verifying his/her identity on the basis of other documents as mentioned in clauses I.(b) and I.(c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. In order to ensure that no bona fide beneficiary (other than children) under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated 19th December, 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

By order,
ANIL KUMAR SAGAR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1107 राजपत्र–2024–(3096)–599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

1107 RPH 2024 (Audyogik folder-21) data 8e